राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2641/2023

विश्वेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महुवा, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2023
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आत्माराम वर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 व 03.10.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर महुवा, दौसा में ही लगाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर महुवा, जिला दौसा में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी उपस्थिति मुख्य अभियंता कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया है तथा आदेश दिनांक 03.10.2023 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। जबकि उक्त आलोच्य आदेश बिना किसी कारण के बताए एवं बिना प्रशासनिक अत्यावश्यकता के राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विरूद्ध जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 व 03.10.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर महुवा, दौसा में ही लगाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को प्रशासनिक व जनहित में आदेशों की प्रतीक्षा में नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पदस्थापन किया गया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध जनता ने शिकायत में यह लिखा है कि अपीलार्थी से आमजन परेशान है। वह दिनभर शराब पीकर रहता है। जनता पानी की समस्या को लेकर अपीलार्थी को फोन करते हैं तो अपीलार्थी फोन भी रिसीव नहीं करता है तथा न ही कार्यालय में उपलब्ध रहता है। उक्त समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए तथा जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आधार पर आदेशों की प्रतीक्षा में अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है तथा राजकीय अधिवक्ता ने मौखिक तर्क देते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आदेश जनता की समस्याओं को देखते हुए आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा महाराज सिंह गुर्जर कनिष्ठ अभियंता का पदस्थापन उपखंड, महुवा शहर दौसा में कर दिया गया है, जिस पर महाराज सिंह गुर्जर ने दिनांक 06.10.2023 को कार्यग्रहण कर लिया है, जिसको अपीलार्थी ने चुनौती नहीं दी है और न ही उक्त अपील में पक्षकार बनाया है। इसलिए उक्त आदेश को बिना चुनौती दिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर महुवा, जिला दौसा में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी उपस्थिति मुख्य अभियंता कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया है तथा आदेश दिनांक 03.10.2023 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। हम प्रत्यर्थीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी हमेशा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह व ईमानदारी से कार्य नहीं करता है। अपीलार्थी वर्ष 2002 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और इस प्रकार एक ही स्थान पर पदस्थापित

रहने का अधिकारी किसी भी कार्मिक को प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक को किस स्थान पर जनहित एवं प्रशासनिक आधार पर सेवाएं लेनी है। अपीलार्थी एक ही स्थान पर लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है बल्कि उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। अतः जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य